संख्या: 17/2016 /1902/ सत्रह - म- 2016, 6-9(111)/2016

प्रेषक,

दीनानाथ गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 14 अक्टूबर 2016

विषय वर्ष 2016-17 में मत्स्य विभाग की स्वीकृत नवीन योजना " तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजना " के कार्यान्वयन हेतु दिशा- निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक मत्स्य के पत्र संख्या- 198/नि0शा0 दिनांक 11-04-2016 एवं पत्र संख्या- 334/ नि0शा0 दिनांक 20-06-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु ग्राम सभा एवं निजी क्षेत्रों के तालाबों में वर्तमान में मत्स्य उत्पादन का औसत स्तर 30 कुन्तल प्रति हे0 प्रतिवर्ष है, जो सम्भावित मत्स्य उत्पादन क्षमता की तुलना में कम है। समान्यत: ग्राम सभा के तालाबों की वास्तविक उत्पादन क्षमता के सापेक्ष मत्स्य पालकों द्वारा परम्परागत पद्वति से मत्स्य पालन करने के कारण मत्स्य उत्पादन का स्तर प्रभावित होता है। राजस्व अनुभाग -2 के शासनादेश संख्या - 3736/1-2/95-रा0-2 दिनांक 17-10-1995 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 0.2 हे0 से 2.00 हे0 तक के तालाबों का आंवटन व्यक्गित रूप से तथा 2.00 हे0 से बडे तालाबों का आंवटन मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के पक्ष में किया जाता है । प्रदेश में ग्राम सभा व निजी क्षेत्र के 0.2 हे0 से बडे तालाब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। वर्तमान में मत्स्य विभाग द्वारा केन्द्रपोषित मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत तालाबों का निर्माण व जीर्णोद्वार बैक ऋण की सुविधा अथवा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से कराने पर 20-25 प्रतिशत का अनुदान सम्बधित लाभार्थी को मत्स्य पालन के विकास हेतु दिलाया जाता है । इन तालाबों की औसत उत्पादन क्षमता वर्तमान में 30 कुन्तल प्रति हे0 प्रतिवर्ष पर स्थिर होने के कारण विभाग द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बनाये गये विजन डाक्यूमेंट में तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता को बढाने पर विशेष बल दिया गया है, जिसके दृष्टिगत 1.00 हे0 या उससे बडे तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता के विकास हेतु तालाब स्थल पर मत्स्य नर्सरियों की स्थापना का प्रस्ताव इस योजना में किया गया है, जिससे मत्स्य पालक नर्सरियों से निश्चित अवधि में मत्स्य अंगुलिकाएं पोषित करते हुए बडे आकार का मत्स्य बीज संवर्धन किया जायेगा, जिसे पुन: आधुनिक पद्वति से विकसित करने हेतु मुख्य तालाबों में संचय करते हुए तालाबों से मत्स्य उत्पादकता का स्तर लगभग 40-50 कुन्तल प्रति हे0 प्रतिवर्ष किये जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना सम्भव हो सकेगा।

2- अत: वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यपोषित योजना के रूप में स्वीकृत नवीन योजना " तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजना"के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जा रहें है :-

1- कार्यान्वयन विधि :- तालाबों के मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास येाजनान्तर्गत 1.00 हे0 के तालाब पर 10 प्रतिशत का जलक्षेत्र अर्थात 0.1 हे0 नर्सरी स्थापना हेतु आरक्षित रखने का प्रस्ताव रखा गया है। 0.1 हे0 की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

नर्सरी में 50,000 जीरा आकार के उन्नतशील मत्स्य बीज संचय एवं उनका पोषण कर 10 से 15 हजार बडे आकार (70 एमएम से 100 एमएम) मत्स्य अंगुलिका के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे 1.00 हे0 तालाब में संचय कर मत्स्य बीज मृत्यु दर को नियंत्रित करते हुए एवं उसमें कमी लाते हुए 40 से 50 कुन्तल प्रति हे0 / प्रति वर्ष मछली का सुनिश्चित उत्पादन लिया जाना सम्भावित है।

1-(1) भौतिक लक्ष्य :-

वर्ष 2016-17 हेतु प्रत्येक जनपद में 10 लाभार्थियों (प्रति लाभार्थी 1.00 हे0 तालाब पर 0.1 हे0 नर्सरी निर्माण) अथवा कुल 10.00 हे0 तालाब पर 1.0 हे0 नर्सरी निर्माण प्रत्येक जनपद का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। इस वर्ष् 750 हे0 ताल्बों पर 75हे0 नर्सरी निर्माण का लक्ष्य इस योजनान्र्गत निर्धारित है। इस प्रकार 750 नर्सरियों / कुल क्षेत्रफल 75 हे0 का निर्माण कार्य कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

1- (2) लाभार्थी चयन का मानदण्ड

आवेदकों में से लाभार्थियों का चयन जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नांकित अधिकारी होगें :-

1- मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2- मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	सदस्य
3- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित जनपद का प्रगतिशील मत्स्य पालक	सदस्य
4- सहायक निदेशक मत्स्य,/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य/ सचिव

पात्रता हेतु निम्नांकित मानक के अनुसार लाभार्थी चयन किया जायेगा :-

(1) मत्स्य पालन में उसकी अभिरूचि एवं अनुभव हो।

(2) आवेदक मत्स्य पालक सद्चरित्र व्यक्ति हो।

(3) विभागीय /अन्य शासकीय योजनाओं में डिफाल्टर घोषित न हुआ हो।

(4) आवेदक को न्यूनतम 03 वर्षो का मत्स्य पालन करने का अनुभव हो और उसके तालाब में वर्ष पर्यन्त समुचित जल की उपलब्धता /जलापूर्ति की व्यवस्था हो।

(5) मत्स्य पालक द्वारा वर्तमान मत्स्य उत्पादकता का स्तर 2.50 टन प्रति हे0 प्रति वर्ष तक प्राप्त किया जा रहा हो।

निजी क्षेत्र के मत्स्य पालकों को वरीयता दी जायेगी । निजी मत्स्य पालक के उपर्युक्त मानक के अनुरूप अनुपलब्धता की दशा में पटटे पर आवंटित तालाबों के ऐसे पटटाधारक लाभार्थियों का भी चयन किया जायेगा, जिनकी पटटा अवधि न्यूनतम 03 वर्ष अवशेष हो । ऐसे लाभार्थियों, जो विगत 04 वर्षो में यू0पी डास्प अथवा राष्ट्रीय कृषि विकास येाजना (एकीकृत मत्स्य पालन) के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं से लाभान्वित नही किये गये हो, चयन हेतु अर्ह होगें। लाभार्थियों के पारदर्शी चयन हेतु समुचित प्रचार-प्रसार एवं लोकप्रिय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें एवं चयनित लाभार्थियों की सूची मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 की विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(3) परियोजना की लागत :-

परियोजना में ग्राम सभा व निजी क्षेत्र के 1.00 हे0 तालाब में 10 प्रतिशत जलक्षेत्र अर्थात 0.10 हे0 की नर्सरी निर्माण के स्थापना हेतु इकाई लागत रू0 0.50 लाख होगी, जिसमें परियोजना के माध्यम से 50 प्रतिशत अनुदान एवं लाभार्थी द्वारा 50 प्रतिशत व्यय भार बैंक ऋण अथवा स्वयं के संसाधनों से वहन किया जायेगा ।
इकाई लागत का मदवार विवरण निम्नवत है :-

क्रमांक	मद	धनराशि (रू0 में)
1	नर्सरी(0.1हे0 प्रति नर्सरी) निर्माण	30,000
2	इनलेट व आउटलेट की स्थापना धनराशि रू0 5,000 प्रति नर्सरी	5,000
3	जीरा आकार मत्स्य बीज का संचय धनराशि रू0 50,000 बीज प्रति नर्सरी, 100 रू0 प्रति हजार की दर से	5,000
4	मत्स्य आहार व अन्य व्यय धनराशि रू0 10,000 प्रति नर्सरी	10,000
	कुल	50,000

इकाई लागत रू0 50,000 /- पर लाभार्थी को देय अनुदान इकाई लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 25,000/- प्रति इकाई ।

कुल इकाइयों (नर्सरियों) की संख्या - 750 (निर्मित नर्सरियों का कुल क्षेत्रफल- 75 हे0)

क्रमांक	मद	धनराशि (रू0 लाख में)
1	750 नर्सरी (0.1हे0 प्रति नर्सरी) निर्माण धनराशि रू030,000/- प्रति नर्सरी	225.00
2	इनलेट व आउटलेट की स्थापना धनराशि रू0 5,000 प्रति नर्सरी	37.50
3	जीरा आकार मत्स्य बीज का संचय धनराशि रू0 50,000 बीज प्रति नर्सरी अर्थात रू0 5,000/- प्रति नर्सरी की दर से व्यय	37.50
4	मत्स्य आहार व अन्य व्यय धनराशि रू0 10,000 प्रति नर्सरी	75.00
	कुल	375.00

कुल योजना लागत रू0 375 लाख के सापेक्ष रू0 187.50 लाख परियोजना अंश तथा रू0 187.50 लाख लाभार्थी अंश के रूप में मात्राकृत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

<u>(4) परियोजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण</u>

परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय अनुश्रवण नर्सरी निर्माण, मत्स्य बीज संचय आदि के समय पर जनपद एवं मण्डल स्तर पर किया जायेगा, जिसका औचक सत्यापन समय-समय पर मुख्यालय स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। परियोजना अवधि में महत्वपूर्ण घटना क्रमों का साक्ष्य फोटो /वीडियो ग्राफी के माध्यम से जनपद स्तर पर अभिलेखार्थ सुरक्षित किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(दीनानाथ गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या 17/2016 /1902(1)/सत्रह-म-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 - समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 ।
2- समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0 ।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 ।
4- संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय लखनऊ ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय।
6- समस्त मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 ।
7- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 ।
8- न्याय विभाग/वित्त विभाग/ नियोजन विभाग/ राजस्व विभाग/ पंचायतीराज विभाग।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http:// shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।